

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/अंग्रेजी माध्यम/पदस्थापन/2020-21/2020/71 दिनांक 16.07.2020 द्वारा श्री नीरज कुमार धाकड़, प्रधानाचार्य राउमावि पालीडांग, बयाना जिला भरतपुर को उक्त विद्यालय के राज्य प्लैगशिप योजनान्तर्गत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में चयनित कर लिये जाने के कारण अधिशेष होने के फलस्वरूप राउमावि जनुथर, डीग जिला भरतपुर में योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए पदस्थापित/समायोजित किया गया था।

श्री नीरज कुमार धाकड़ द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 678/2020 नीरज कुमार धाकड़ बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 04.08.2020 द्वारा अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 17.08.2020 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।


माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर निर्धारित तिथि तक विभाग के समक्ष किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अपील दायर किये जाने से पूर्व के समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही अनुतोष की मांग की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिये जाने के कारण उक्त परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। सम्बन्धित सूचित हों।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/नीरज कुमार धाकड़/अपील/678/2020 दिनांक: 01/12/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री नीरज कुमार धाकड़, प्रधानाचार्य राउमावि जनुथर, भरतपुर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)